

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 (3) सा.प्र./ग्रुप-4/12

जयपुर, दिनांक 13-9-12

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- तृतीय एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन
बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित तृतीय एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 6.49 लाख (अक्षर छः लाख उन्चास हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	आवासी का नाम व आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1	ई-19 गांधी नगर	1.आलमारी 2.टाईल्स कार्य	0.32 0.16	0.48
2	श्री यशवीर डी ब्लॉक ओल्ड एम.आर. ई.सी.	1.टीन शेड 2.ए.सी.शीट 3.डोर 4.रफकोटा स्टोन	0.21 0.09 0.05 0.10	0.45
3	डा. साक्षी ग्रोवर आई ब्लॉक ओल्ड एम.आ. ई.सी.	1.टाईल फर्श	0.30	0.30
4	श्री कल्पना जोशी टी ब्लॉक ओल्ड एम.आर. ई.सी.	1. चारदीवारी 2. टीन शेड	0.25 0.21	0.46
5	3/1 गांधीनगर जयपुर	1. टॉयलेट रिनोवेशन 2. किचन रिनोवेशन 3. चैनल गेट	0.20 0.16 0.12	0.48
6	3/4 गांधीनगर जयपुर	1. किचन रिनोवेशन 2. बाथरूम रिनोवेशन	0.20 0.25	0.45
7	3/5 गांधीनगर जयपुर	1. बाथरूम रिनोवेशन 2. किचन रिनोवेशन 3. दरवाजा	0.20 0.20 0.08	0.48
8	3/7 गांधीनगर जयपुर	1. किचन रिनोवेशन 2. बाथरूम रिनोवेशन	0.25 0.20	0.45
9	3/19 गांधीनगर जयपुर	1. बाथ रिनोवेशन 2. टायलेट रिनोवेशन	0.25 0.20	0.45
10	3/27 गांधी नगर जयपुर	1.टीन शेड 2.दरवाजा	0.28 0.06	0.34
11	3/29 गांधीनगर जयपुर	1.रफकोटा स्ओन	0.23	0.23
12	3/52 गांधीनगर जयपुर	1.किचन रिनोवेशन	0.30	0.30
13	3/54 गांधीनगर जयपुर	1.मैट टाईल्स 2.रफ कोटा स्ओन	0.16 0.26	0.42

14.	3/86 गांधीनगर जयपुर	1.ए.सी. शीट	0.24	0.24
15	3/92 गांधी नगर जयपुर	1.जाली डोर 2.दरवाजा 3.टाईलेट रिनोवेशन	0.04 0.09 0.20	0.33
16	3/103 गांधीनगर जयपुर	1. स्टील विन्डो	0.17	0.17
17	3/106 गांधीनगर जयपुर	1. मेन गेट 2. कोटा स्ओन 3. ए.सी सीट	0.10 0.12 0.24	0.46
		कुल योग रुपये		6.49

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [04] प्रथम एवं चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवासों में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर समस्त आवासियों से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/ C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

Sd

उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधीक्षाधी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. अधीक्षाधी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।

h

उप शासन सचिव (क)